ईएसआई अस्पताल एनएच-3

निकम्मेपन की इन्तहा, डीजी के आदेश भी अनसुने

फरीदाबाद (म.मो.) किसी भी अस्पताल को सुचारू रूप से चलाना उसके एमएस (मेडिकल सुपरिटेंडेट)का कार्य होता है। लेकिन यहां पर्याप्त बजट और आवश्यक साजो-सामान खरीदने की शक्तियां होने के बावजूद अस्पताल का सत्यानाश हुआ पड़ा है। जो काम एक एमएस को स्वत: कर लेने चाहिये थे, उन्हें करने के लिये नव-नियुक्त डीजी दीपक कुमार ने 19 जून को वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा अपने तमाम अस्पतालों को कहा। उन्होंने इसके लिये बाकायदा समयबद्ध कार्ययोजना की घोषणा की। इसका पूरा विवरण गतांक में प्रकाशित किया गया था।

डीजी के उक्त आदेश के बावजूद 15 जुलाई तक संपन्न हो जाने वाले एक भी काम को यहां छूआ तक नहीं गया है। किसी भी शौचालय का दिन में दो बार निरीक्षण करके रिपोर्ट लिखना तो दूर अभी तक किसी ने झांक कर भी नही देखा। अस्पताल में दिशा एवं अस्पताल सूचक लिखने और रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था करने जैसा साधारण सा काम भी खबर लिखे जाने तक नहीं हो पाया। और तो और सबसे सरल काम चौबीसों घंटे चालू रहने वाला वह काऊंटर और टेलिफ़ोन स्थापित नहीं हो सका जो किसी आगन्तुक को अस्पताल में भर्ती मरीज का अता-पता बता सके। इससे बड़ी नालायकी कोई हो नहीं सकती। जहां नालायकी एवं निकम्मेपन का स्तर ऐसा हो वहां मरीज के बिस्तरों व चादरों के बारे में किसने क्या करना था। डीजी के आदेशानुसार मरीज के बिस्तर की चादर प्रतिदिन बदली जानी चाहिये। निकम्मे व नालायक लोग इस काम में धोखेबाज़ी न कर सकें इस लिये सप्ताह के प्रत्येक दिन के हिसाब से चादर की पट्टी का रंग अलग होगा। चादरें खरीदने व उनकी रोज़ाना धुलाई के लिये अभी तक कोई प्रबन्ध करना तो दूर इसके लिये सोचा तक नहीं गया। विडम्बना तो यह है कि गत दो-तीन वर्षों पहले खरीदी जा चुकी आधुनिक मशीन पड़ी-पड़ी जंग खा रही है।

ओपीडी में आने वाले मरीज़ों को अपनी बारी की प्रतीक्षा में लाइनें लगा कर खड़ा न रहना पड़े, इसके लिये उनके बैठने का कोई प्रबन्ध अभी तक नहीं हुआ। बुजुर्गों के लिये थोड़ी अलग व्यवस्था करने की अभी तक किसी ने यहां नहीं सोची। और तो और अस्पताल से इलाज करा कर जाने वाले मरीज़ों का फ़ीड बैक यानी अस्पताल के बारे में उनकी राय जानने के लिये एक रजिस्टर तक नहीं लग पाया। जाहिर है ऐसे रजिस्टर में मरीज अस्पताल अधिकारियों को कोसने व गालियां देने के अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे।

डीजी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार तो 30 नवम्बर तक अस्पताल में कैंसर जांच, हृदय जांच, आईसीयू, डायलेसिस आदि-आदि सहित वे सभी सुविधायें व काम इसी अस्पताल में होने का प्रबन्ध पूरा हो जाना चाहिये। किसी भी मरीज़ को किसी भी काम के लिये अस्पताल से बाहर न भटकना पड़े। परन्तु इस दिशा में यहां के निकृष्ट अधिकारियों ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इस बाबत एमएस महोदय के विचार जानने के लिये 13 जुलाई को उनके मोबाइल नं. 9868606154 पर प्रात: 10 बजे व 12 बजे फ़ोन किया जो उन्होंने नहीं उठाया। उनके दफ़्तर में 2413032 पर फ़ोन किया तो बताया गया कि राऊंड पर गये हैं। दोपहर 2 बजे फ़िर से उनके मोबाइल पर फ़ोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया। दफ़्तर वालों ने बताया कि सेक्टर 16 स्थित आरडी कार्यालय में गये हैं। जहां वे बाद दोपहर एसएमसी का कार्य करते हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गत सप्ताह एमएस ने एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो डीजी द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों पर काम करने के लिये विचार करेगी। अभी यह मालूम नहीं हो सका है कि यह 'विचार' कार्य कितने दिन या सप्ताह चलेगा और उसके बाद काम पर अमल कब होगा। जानकार यह भी बताते हैं कि निकम्मे व नालायक अधिकारी इस बात की भी प्रतीक्षा में हैं कि इतनी सख्ती से काम लेने वाला डीजी यहां टिक नहीं पायेगा और आजकल में ही यहां से चलता कर दिया जायेगा।

एक बात तो तय है कि यदि दीपक कुमार डीजी बने रह गये, जैसी कि पूरी सम्भावना है, तो भी जिन निकम्मे लोग़ों ने कभी काम किया ही नहीं वे चाबुक दिखाने मात्र से काम करने वाले नहीं हैं, उन पर तो चाबुक चलानी ही पड़ेगी। इन्हीं निकम्मे एवं मज़दूर विरोधी सोच के अफ़सरों की वजह से अस्पताल को नई इमारत में स्थानान्तरित होने के रास्ते में तरह-तरह के रोड़े अटकाये जा रहे हैं।

जेएनयूआरएम के बाद अब स्मार्ट सिटी का नाटक

कांग्रेसी सरकार ने शहरों का उत्थान करने के नाम पर जेएनयू आर एम (जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के नाम पर देश का धन लुटाया था,) अब भाजपाई मोदी सरकार भी उसी नक्शे-कदम पर चलती हुई स्मार्ट सिटी का ड्रामा शुरू करने जा रही है।

जेएनयू आर एम के तहत देश भर से कुछ खास शहर चुने गये थे जिनमें हरियाणा से दो फ़रीदाबाद व गुंड़गांव चुने गये थे। स्कीम के तहत फरीदाबाद नगर निगम को करीब 1500 करोड़ रुपये के अलावा 200 अति आधुनिक तकनीक वाली बसें भी दी गयी थीं। दो साल तक तो यह फ़ैसला नहीं हो सका था कि इन बसों का संचालन कौन करेगा, क्योंकि नगर निगम ने तो हाथ खड़े कर दिये थे कि यह काम उनके बस का नहीं है। इसके बाद यह काम हरियाणा रोडवेज बल्लवगढ को दिया गया। यहां पहले ही ड्राइवर व कंडक्टरों की भारी कमी के चलते उनकी अपनी बसें खड़ी थीं। वर्कशॉप में न मिस्त्री थे और न सामान। जो ड्राइवर थे भी वे इन आधुनिक बसों को चलाने में सक्षम नहीं थे। इसलिये 20 ड्राइवरों का एक जत्था ड्राइवरी सीखने बैंगलोर भेजा गया। आज उन तमाम बसों की हालत खस्ता है। आधे से अधिक कंडम हो चुकी हैं। वारंटी का समय भी बीत चुका है।

नगर निगम को जो 1500 करोड़ दिये गये थे उससे न तो पीने के पानी व सीवरेज की समस्या हल हुई और न ही सड़कों की। गंदगी के ढेर जहां-तहां आज भी सड़ रहे हैं। स्लम बस्तियां ज्यों की त्यों हैं बल्कि लगातार बढ रही हैं। इनके नाम पर हज़ारों की संख्या में जो फ़्लैट बनाये गये थे वे खाली पड़े-पड़े ही जर्जर होकर गिरने के कग़ार पर हैं।

अब देश व राज्य भर के तमाम शहरों से कहीं आगे बढ कर फ़रीदाबाद के राजनेता व नगर निगम के अधिकारी स्मार्ट शहर की दौड़ जीत कर मोटा माल पाने की फ़िराक में हैं। माल की आस में इन लोग़ों ने निवेश की भावी योजनायें तक बना डाली हैं। दरअसल समझने वाली बात केवल इतनी है कि कोई भी शहर केवल पैसा लुटाने से स्मार्ट नहीं हो सकता। हर शहर व गांव स्मार्ट हो सकता है तो केवल भ्रष्टाचार के उन्मूलन तथा कर्त्तव्यपरायण एवं कर्मठ सरकारी मशीनरी से और इसके लिये चाहिये ईमानदार राजनीतिक नेतृत्व। इन दोनों ही बातों का यहां नितांत अभाव है।

सोचने वाली बात यह है कि किसी भी शहर को स्मार्ट कहने के लिये क्या चाहिये? साफ़-सुथरी सड़कें व गलियां, शुद्ध पेयजल, सुचारू सीवरेज व्यवस्था, आवागमन एवं यातायात के पर्याप्त एवं भरोसेमंद साधन जो जाम से मुक्त हों। सबके लिये संतोषजनक स्वास्थ्य सेवायें और बच्चों के लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध।

सोचने वाली बात यह है कि किसी भी शहर को स्मार्ट कहने के लिये क्या चाहिये? साफ़-सुथरी सड़कें व गलियां, शुद्ध पेयजल, सुचारू सीवरेज व्यवस्था, आवागमन एवं यातायात के पर्याप्त एवं भरोसेमंद साधन जो जाम से मुक्त हों। सबके लिये संतोषजनक स्वास्थ्य सेवायें और बच्चों के लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध। ये तो वे मूलभूत सुविधायें हैं जो किसी भी नागरिक को उपलब्ध कराना किसी भी कल्याणकारी राज्य की पहली प्राथमिकता होती है। इन्हें सहज उपलब्ध कराने में कम्प्यूटर का ब्यापक इस्तेमाल हो तो शहर पूरी तरह स्मार्ट हो जाता है।

परन्तु है सब कुछ उल्टा-पुल्टा। जाम-मुक्त यातायात के साधनों की तो बात छोड़िये, शहर के किसी भी बाज़ार में पैदल चलने वालों के लिये फुटपाथ तक नहीं बचे हैं। आधी सड़क तक पर अवैध कब्ज़े करवा रखे हैं सरकार ने। एक दैनिक अखबार गत एक माह से लगातार, प्रतिदिन किसी न किसी बाज़ार की फ़ोटो सहित इन कब्ज़ों का विवरण छाप रहा है; लेकिन सरकारी अधिकारियों की चमड़ी इतनी मोटी हो चुकी है कि किसी पर कोई असर नहीं हो रहा।

वर्षा के लिये तरसते शहर में ज़रा सी बारिश होने पर घरों से निकलना दूभर हो जाता है। तमाम शड़कों पर जलभराव के चलते वाहनों का जाम लग जाता है और तो और राष्ट्रीय राजमार्ग भी इससे अछूता नहीं रहता। शहर का शायद ही कोई चौंक-चौराहा ऐसा हो जहां जलभराव से जाम न लगता हो। नालायक अफ़सरों की नालायकी का बेहतरीन नमूना सड़कों की बनावट में देखा जा सकता है। थोड़ी सी बरसात में ही सड़कें तो पानी से लबालब भरी होती हैं और उसके दोनों ओर सूखा रहता है। नालायक एवं भ्रष्ट अफ़सरों को इसका लाभ यह रहता है कि सड़कें बार-बार टुटती रहती हैं जिन्हें बनाने के नाम पर ये लोग पैसा डकारते हैं।

शहर को बसाने व तमाम नागरिक सुविधायें प्रदान करने के लिये राज्य सरकार के दो महकमे-हूडा व नगर निगम हैं। दोनों ही भ्रष्टाचार में इस तरह से लिप्त हैं कि विकास एवं नागरिक सेवाओं पर खर्च होने वाले पैसे का अधिकांश स्वयं डकार जाते हैं। यदि ये डकारना बन्द हो जाये और सारे पैसे का सदुपयोग होने लगे तो शहर स्वत: स्मार्ट हो जाय। जे एन यू आर एम की तर्ज पर यदि स्मार्ट सिटी के नाम पर भी पैसा बहा दिया जायेगा तो कुछ प्रभाशाली जेबों को ही स्मार्ट बनायेगा न कि शहर को।

चीनी मिल लूटने का मेहता का एक और तरीका

करनाल (छोटू) करीब 5 साल करनाल चीनी मिल के एमडी रहे राजीव मेहता ने इसे कैसे लूटा, इसका पूरा ब्योरा पाना गहन जांच का विषय है। पिछले अंक में करनाल के इस मौजूदा एसडीएम का कुच्छ कच्चा-चिट्ठा दिया गया था। परन्तु एक-एक करके निकल रहे उनके काले कारनामों में से एक है वर्ष 2011-12 व 2012-13 का।

इस काल में मेहता जी ने बतौर एमडी अपने मिल की करीब साढे तीन लाख क्विंटल चीनी स्थानीय सहकारी बैंक में गिरवी रख कर भारी भरकम कर्ज 13 प्रतिशत वार्षिक की दर पर अपने मिल के लिये उठाया। यानी इस पर तकरीबन 2 रुपये प्रति क्विंटल प्रति दिन का ब्याज मिल भरता रहा।

दूसरी ओर चीनी बिक्री से आने वाले 2 से 6 करोड़ रुपये तक की एफडी (सावधि जमा) स्थानीय कुंजपुरा रोड स्थित एचडीएफसी बैंक में करा दी। इस पर मिल को ब्याज मिला 8 प्रतिशत के हिसाब से। बैंको के इस लेन देन में मिल को 5 प्रतिशत का सीधा घाटा लगा। हिसाब जोड़ा जाय तो यह रकम करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर बैठेगी। मिल को यह चोट पहुंचाने के एवज में एचडीएफ़सी बैंक ने मेहता को एक वरना कार बिना ब्याज के शत प्रतिशत कर्ज पर लेकर दी। कार का पंजीकरण नम्बर एच आर-70-70 7174 उनकी मां कृष्णा मेहता के नाम है। इन्ही के नाम पर इन्द्री स्थित सर्वशिक्षा मन्दिर नामक स्कूल की ज़मीन का पंजीकरण भी है जिसका उल्लेख गतांक में किया गया था।

एचडीएफ़सी बैंक द्वारा मेहता को दिया गया यह बिना ब्याज का कर्ज तो रिकार्ड में दर्ज है लेकिन उस कर्ज की किश्तें भरने की व्यवस्था भी यदि बैंक मैनेजर ने ही करा दी हो तो कोई बड़ी बात नहीं।

मनाली में भ्रष्टाचार के अवसर बढाये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने

फ़रीदाबाद (अजातशत्रु) वैसे तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हर फ़ैसले पर ही विवाद खड़े होते रहे हैं-चाहे वो डीजल के वाहन बन्द करने के बारे में हो या निर्माण सामग्री से सम्बन्धित प्रदूषण के बारे में लेकिन मनाली के बारे में दिये गये एनजीटी के फ़ैसले ने तो वहां के लोग़ों को तबाही की तरफ़ ही धकेल दिया है।

हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल मनाली से लगभग 50 किलोमीटर दूर रोहतांग पास है। बारहों महीने उपस्थित बर्फ़ के कारण सैलानियों के लिये यह प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहा है। वास्तव में मनाली का पर्यटन व्यवसाय ही रोहतांग पर टिका हुआ है। पिछले साल जारी अपने एक फ़र्मान में एनजीटी ने वाहनों से रोहतांग ग्लेश्यिर को हो रहे नुकसान के मद्देनज़र वहां जाने वाले पर्यटक वाहनों की संख्या 1000 प्रतिदिन निर्धारित कर दी थी। इस में पेट्रोल चालित वाहनों की संख्या 600 तथा डीजल बालों की 400 है। निश्चित रूप से वहां रोज़ाना जाने वाले वाहनों की संख्या इस कोटे से कई गुणा अधिक होती थी। एक मोटे अनुमान के अनुसार रोज़ाना लगभग दस हज़ार वाहन रोहतांग जाते थे क्योंकि मनाली आने वाला हर सैलानी कम से कम एक दिन रोहतांग जरूर जाता था। जैसी कि आशंका थी इस साल के सीजन की शुरूआत में ही एनजीटी के इस आदेश के ख़िलाफ़ स्थानीय लोग़ों ने दस दिन की हड़ताल की। लेकिन दिल्ली तो इतनी बहरी हो चूकी है कि जन्तर-मन्तर पर उठे विरोध के स्वरों को नहीं सुनती तो 600 कि.मी. दूर से मनाली के गरीबों का आर्तनाद कौन सुनता। सो आदेश लागू हो गया। ऊपर से दस दिन की हड़ताल ने पर्यटकों को और हतोत्साहित किया और इस बार का सीजन चौपट हो गया। एक तरफ़ तो होटल, लॉज, स्थानीय टैक्सी वालों को इस आदेश के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा तो दूसरी तरफ़ सरकारी कर्मचारियों के पौ बारह हो गये। वाहनों की संख्या नियन्त्रित करने के लिये परमिट सिस्टम लागू किया गया। परमिट देने का काम स्थानीय एसडीएम कार्यालय करता है।

परमिट एक दिन पहले लेना पड़ता है और रविवार की छुट्टी रहती है। परमिट लेने का समय सुबह नौ से चार बजे तक है। हालॉकि कोई फ़ीस नहीं है लेकिन उसके लिये इतनी लम्बी लाइन सुबह से ही लग जाती है कि एक दिन में परमिट मिलना मुश्किल है। अब दिल्ली या अन्य दूर जगह से जाने वाला आदमी एक बार तो रोहतांग जाना ही चाहता है, इसी का फ़ायदा उठाकर परमिट की कालाबाज़ारी होती है। जहां टैक्सी वाले पूरा टैक्सी का परमिट बेच देते हैं वही बसों वाले एक-एक सीट का सौदा करते हैं।

जून के शुरू में एक-एक सीट 6000 रुपये तक में बेची गयी जबकि टैक्सी का परमिट पूरा 10 से 15 हज़ार रुपये में बिक रहा था। इसका नतीजा यह है कि जहां स्थानीय प्रशासन बैठे बिठाये 15 से 20 लाख रुपये महीना रिश्वत से कमा रहा है, वहीं सैलानियों में इस जेब कटने से मायूसी और खीज है। उनकी संख्या इस साल घटकर एक चौथाई रह गई है। दुख की बात ये है कि वाहनों की संख्या में भी आशातीत कमी नहीं हुई। एसडीएम कार्यालय के भ्रष्टाचार के चलते पुलिस में भी रिश्वतखोरी और बड़ी संख्या में बिना परमिट के भी वाहनों को रोहतांग जाने दिये जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे वाहनों की संख्या तीन गुना के लगभग है। पर्यटन का भट्ठा बैठाने वाले इस आदेश के कारण अनुमान है कि लगभग दस प्रतिशत छोटे लॉज और होटल इस साल मनाली से पलायन कर जायेंगे।।

सवाल यह है कि क्या फ़िर पर्यावरण के अन्धाधुन्ध नुकसान की इजाजत दे दी जाये। भ्रष्टाचार की आशंका के चलते किसी तरह का कोई नियन्त्रण न किया जाय? पर्यावरण को हो रहे नुकसान को रोकने का कोई न कोई तरीका तो जरूर ही ईजाद किया जाना चाहिये लेकिन इसके लिये सभी सम्बन्धित लोगों-होटल व टैक्सी मालिकों, प्रशासन, पर्यटकों आदि से सलाह मशविरा करके ही सही रास्ता निकाला जाना चाहिये था और उसका पूरा प्रचार किया जाना चाहिये था ताकि पर्यटकों को असुविधा न हो। लेकिन पर्यावरण का पुरोधा दिखने की ललक में एनजीटी द्वारा हड़बड़ी और आनन-फ़ानन में ज़ारी किये गये तुगलकी फ़र्मान तो लोग़ों के लिये-चाहे वो स्थानीय जनता हो या पर्यटक। परेशानी का सबब ही बनेंगे। ऐसे आदेश तो ना सिर्फ़ भ्रष्टाचार बढ़ायेंगे और अक्षम साबित होंगे बल्कि पर्यटन को ग़रीब लोग़ों की पहुंच से दूर कर सिर्फ़ अमीरों के लिये आरक्षित कर देंगे।

बेहतर हो इस पर समय रहते गौर किया जाये और मनाली-रोहतांग के बीच बैट्री बस या गैस चालित बस या रोफवे के विकल्पों पर विचार किया जाये।